राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के दिनांक 22-8-89 का का॰ ज्ञा॰ सं॰ 12019/3/89-रा॰भा॰ (भा॰)

विषय: केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों की समीक्षा करने से पता चलता है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, निगमों तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि में विभिन्न अनुदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रमों के प्रावधानों का ठीक तरह से अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

2. राजभाषा विभाग के दिनांक 1-2-88 के कार्यालय ज्ञा॰ सं॰ 14012/14/87-रा॰ भा॰ (ग) के अन्तर्गत हिन्दी टाइपिस्टों के सम्बन्ध में जो अनुपात निर्धारित किया गया था, वह 31 मार्च, 1989 तक पूरा किया जाना चाहिए था परन्तु कई कार्यालयों में यह अनुपात अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसे अविलम्ब पूरा किया जाना चाहिए।

3. राजभाषा विभाग के दिनांक 20-8-87 के कार्यालय ज्ञा॰ सं॰ 14012/7/87-रा॰ भा॰ (ग) के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में हिन्दी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों का जो अनुपात निर्धारित किया गया है वह 31 मार्च, 1990 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है। इस आदेश के अनुपालन में हो रही प्रगति पर ध्यान देना आवश्यक है।

4. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी में भी काम आने योग्य उपकरणों की खरीद पर जोर दिया जाता रहा है। फिर भी, कुछ कार्यालयों में कम्प्यूटर, टेलीप्रिन्टर आदि उपकरण केवल अंग्रेजी भाषा में काम आने योग्य ही खरीदे जा रहे हैं और पहले से उपलब्ध उपकरणों को हिन्दी में भी काम योग्य बनाने संबंधी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस स्थिति में भी सुधार आवश्यक है।

5. कुछ कार्यालयों में न्यूनतम हिन्दी पदों का सृजन नहीं होने के कारण राजभाषा अधिनियम, संसद के संकल्प और नियमों आदि के प्रावधानों के पालन में कठिनाई हो रही है। इन पदों को शीघ्र सृजित करना चाहिए ताकि उन पर नियुक्तियां की जा सकें।

6. राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार के बारे में सरकार की नीति यह है कि सरकारी कामकाज में हिन्दी को प्रेरणा और प्रोत्साहन से बढ़ाया जाए। इसके साथ ही नियमों और आदेशों के अनुपालन में दृढ़ता बरती जानी चाहिए। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित अनुपालन हो। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी जानबूझकर राजभाषा के बारे में लागू प्रावधानों की अवहेलना करता है तो प्रकरण में संबंधित नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन होने के आधार पर कारईवाई की जा सकती।